न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–69/18

1. श्री जसराज पिता रोड़ीलाल जाति आंजना निवासी केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

–– वादी

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार पिता गोपीलाल गांधी जाति महाजन निवासी केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–136 आर.टी.एक्ट. 1955

उपस्थितः– श्री पप्पु वैष्णव– अभिभाषक वादी

निर्णय दिनांक 10.11.2021

1. वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,136 आर.टी.एक्ट.1955 का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा केसुन्दा पटवार हल्का केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 1856 रकबा 2.98 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी के साबिक नंबर 1180–1189/3 रकबा 29 बीघा 14 बीस्वा थे उक्त आराजी मेसे वादी श्री जसराज पिता रोड़ीलाल जाति आंजना ने प्रतिवादी कमांक 01 श्री सुरेश कुमार पिता गोपीलाल गांधी जाति महाजन से प्रतिवादी के हिस्से मेसे 1/3 हिस्सा यानि की कुल आराजी मेसे 1/6 हिस्सा पंजीकृत विकय पत्र से दिनांक 20.05.1981 को कय किया था जिसकी प्रति पटवार हल्का को नामान्तरकरण हेतु दी थी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 25.06.1981 को खोला गया तथा उक्त नामान्तरकरण का इन्द्राज जमावन्दी में भी हो गया था लेकिन सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान उक्त आराजी का 1/6 हिस्सा पुनः प्रतिवादी कमांक (विकेता) के नाम दर्ज हो गया तथा तब से वादी काविज होकर काश्त करता आ रहा है वादी उक्त आराजी को

अपनी खातेदारी की घोषणा करा इन्द्राज दुरस्ती कराकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी होने से वाद घोषणा का पेश है।

2. प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया दिनांक 11.03.2019 को प्रतिवादी कमांक 01 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर वाद के सारे कथन सही होना स्वीकर किया तथा उक्त आराजी को वादी के नाम दर्ज करने की सहमति जताई गई। मौके की वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादड़ी से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें उक्त आराजी के पूर्व दिशा में 1.05 हैक्ट0 पर वादी का कब्जा बताया गया है।

3. पत्रावली में बहस सूनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा सलग्न दस्तावजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया जिससे उक्त साबिक आराजी संख्या 1180–1189/3 रकबा 29 बीघा 14 बीस्वा थे जिसके 2 भाग बने उनमें से एक नया भाग 1856 रकबा 2.98 हेक्ट0 बना था। पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20.05.1981 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त साबिक आराजी संख्या 1180–1189/3 रकबा 29 बीघा 14 बीस्वा प्रतिवादी के हिस्से मेसे 1/3 हिस्सा यानि की कुल आराजी मेसे 1/6 हिस्सा वादी ने प्रतिवादी से कय किया था नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 26.06. 1981 का अवलोकन किया गया जिसमें भी उक्त पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20.05. 1981 का नोट लगा हुआ है। तथा जमाबन्दी संवत् 2030–33 का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि उक्त आराजी केता श्री जसराज पिता रोड़ीलाल के नाम दर्ज हो चूकी थी। तथा दौरान सुनवाई प्रतिवादी कमांक 1 ने जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा उक्त आराजी को वादी के नाम दर्ज करने की सहमति जाहिर की तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये। तथा वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया की उक्त जमाबन्दी में जितेन्द्र कुमार एवं सुरेश कुमार महाजन का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त आराजीयात पर जीतेन्द्र कुमार का कब्जा नही है तथा प्रशासन गॉव के संग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2021 को ग्राम केसुन्दा में जीतेन्द्र कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया की आराजी संख्या 1856 के शेष बची आराजीयात के नये नम्बर 2811/1856 रकबा 1.05 हैक्टयर बने जिसमे मेरा 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ उक्त आराजीयात में से मेरा नाम

विलोपित कर दिया जावे तो मुझे कोई आपति नही है। तथा शपथ पत्र में अंकित उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है मौजा केसुन्दा पटवार हल्का केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 1856 रकबा 2.98 हैक्ट0 मेसे 1.05 हैक्ट0 को राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं।

4. अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा केसुन्दा पटवार हल्का केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 1856 के नये नम्बर 2811/1856 रकबा 1.05 हैक्ट0 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा केसुन्दा पटवार हल्का केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 1856 के नये नम्बर 2811/1856 रकबा 1.05 हैक्ट0 पर प्रतिवादी का नाम विलोपित कर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें ड्रिकी पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़